निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 45/2023
दायरा दिनांकः—11.07.2023
निर्णय दिनांकः— 25.2.25

उनवान

1. अर्जुन आयु 15 वर्ष नाबालिग पुत्र पुरषोत्तम जर्ये वली पुरषोत्तम पुत्र रामगोपाल जाति कुशवाह निवासी ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. बनवारी पुत्र श्रीलाल
2. राहुल पुत्र लडडु जातियान कुशवाह निवासीगण ग्राम निपानिया तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 25.2.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्णगोपाल भार्गव— प्रार्थी
2. श्री उमाशंकर गोस्वामी — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 360 की खसरा नंबर 206 रकबा 1.6565 है० वाके ग्राम निपानिया तहसील छबड़ा में स्थित है। जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 51/131 दर्ज जमाबंदी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें नक्शे में बताए अनुसार अपना अपना हिस्सा काश्त करते व लगान जमा कराते आ रहे हैं। भूमि खसरा नंबर 206 का रिकार्ड में अलग—अलग बंटवारा नहीं हो रहा है। जबकि मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा हो रहा है। जिमसें उत्तर से दक्षिण रोड़ निकला हुआ है। रोड़ के सहारे से दक्षिण का हिस्सा प्रार्थी का है तथा उसके बाद रोड़ के सहारे से बीच का हिस्सा अप्रार्थी कम 1 राहुल का है तथा रोड़ के सहारे से उत्तर की तरफ का हिस्सा अप्रार्थी कम 2 का है। मौके पर इस तरह से बंटवारे होकर काश्त हो रही हैं। लेकिन रिकार्ड में अलग—अलग बंटवारा नहीं होने से मौके की स्थिति के लिए कई बार

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

में झगड़े होते हैं और मारपीट की नौबत आती है और अप्रार्थीगण आपस में प्रार्थी के हिस्से में से अधिक जमीन हांक लेते हैं, मना करने पर कभी छोड़ देते हैं और कभी लडाई–झगड़े के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से बंटवारा कर आपस में मेड डालने के लिए कहा। लेकिन बिना पटवारी के पैमाइश किए बिना अप्रार्थीगण मेड डालने को तैयार नहीं है। रिकार्ड में बंटवारा नहीं होने से प्रार्थी अपने हिस्से में विकास नहीं कर पा रहा है और चारों तरफ बाउंड्री भी नहीं करवा पा रहा है। जिससे आए दिन फसल को आवारा पशु नष्ट कर देते हैं और गर्मी की फसल भी नहीं हो पाती है। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति हो रही है। जिसकी पूर्ति असंभव है। कल जब फसल बोने लगे तो अप्रार्थीगण ने अपने हिस्से से ज्यादा मेरे हिस्से की जमीन को हांक दिया। मेरे मना करने पर मुझे व मेरे पिताजी को मारने दौडे तथा कहा कि खेत पर आए तो जान से मार देंगे। इस तरह प्रार्थी को उसके हिस्से को स्वतंत्र रूप से काश्त नहीं करने दे रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रार्थी एवं अप्रार्थी का नक्शे में बताए अनुसार बंटवारा कर अलग–अलग पत्थरगढी कर मेड बांध दी जावे तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से को अच्छी तरह से काश्त कर सके व विकास कर सके व आपसी विवाद से बच जाए। जिससे प्रार्थी अपना हिस्सा अलग दर्ज करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो नक्शे में बताए अनुसार मौके व रिकार्ड में बंटवारा कर दिया जावे। मौके व रिकार्ड में बंटवारा नहीं किया तो प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य कई विवादों में उलझना पड़ेगा व जमीन पड़त रह जाएगी। जिससे प्रार्थी को अपने हिस्से को काश्त करने से नहीं रोके व नक्शे में बताए अनुसार उसके हिस्से पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। इस बात के लिए अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि वह बंटवारा होने के पश्चात किसी प्रकार से कब्जा करने की कोशिश नहीं करें। इस बात के लिए पाबंद किया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 360 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का 51/131 हिस्सा दर्ज है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से अनुसार काश्त करतें चले आ रहे है मौके पर पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से बटवारा हो रहा है परन्तु रिकार्ड में बटवारा नही हो रहा है विवादित आराजी का बटवारा नही होने के कारण कम अधिक भूमि होने की स्थिति में पक्षकरान के मध्य विवाद होता रहता है तथा अपने हिस्से की भूमि की बाउंड्री नही करवा पा रहे है एवं अपने हिस्से की भूमि का विकास नही कर पा रहे है अप्रार्थीगण अपने से ज्यादा हिस्से पर कब्जा करना चाहता है अप्रार्थी को मूल वाद के निर्णिय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य 1999 से बटवारा हो रहा है तभी से बटवारा अनुसार काविज काश्त चले आ रहे है प्रार्थी का लगभग 11 बिस्वा भूमि अधिक है प्रार्थी व अप्रार्थीगण की भूमि पर पत्थर का कोट तीनों ने कर रखा है अप्रार्थी क्रम 2 को उबड खाबड जमीन दी जिस पर अप्रार्थी क्रम 2 ने मकान बना रखा है विवादित भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा किया जावें। अप्रार्थी क्रम 2 ने अपने हिस्से की उबड खाबड जमीन को समतल बनाया उपजाउ बनाया एवं उस पर ट्यूबवेल लगाया तथा मकान बनाया 1 वर्ष 1999 से आज तक अपनी अपनी भूमि पर काश्त करतें चले आ रहें है मौके पर कब्जे अनुसार बटवारा कर दिया जावें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कभी कब्जा करने की कोशिश नही की गई प्रार्थी पर ही 11 बिस्वा भूमि अधिक है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मन गढनत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो काबिल खारिज है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 360 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज है विवादित भूमि शामलाती है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवाद होता रहता है प्रत्येक हिस्से पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी का अधिकार होता है भूमि का जब तक बटवारा नही हो जाता तब तक शामलाती खातेदारी की भूमि पर स्थगन दिया जाना उचित नही है विवादित आराजी का गुणावगुण के आधार पर निर्णय मूलवाद में किया जायेगा। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा